भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं0 2624
11 अगस्त, 2021 को उत्तर के लिए

देश में शहरी सूखा प्रबंधन नीति

2624. श्री संजय सिंह:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोई शहरी सूखा प्रबंधन नीति नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप राज्यों को विशेष रूप से शहरी गरीब इलाकों में अत्यधिक जल की कमी और असमता का सामना करना पड़ता है और वर्तमान सूखा प्रबंधन नीति में केवल कमियों, कृषि उत्पादन पर प्रभाव, ग्रामीणआजीविका का नुकसान, भोजन और जल असुरक्षा को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसी नीति न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में जल संकट वाले क्षेत्रों में लोगों को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 35 लीटर से भी कम जल मिलता है, जो कि मंत्रालय द्वारा सुझाए गए प्रतिदिन 135 लीटर प्रति व्यक्ति के मानकों की तुलना में काफी कम है; और

(घ) इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

<u>उत्तर</u>
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री कौशल किशोर)

(क) और (ख): हालांकि अब तक कोई शहरी सूखा नीति प्रतिपादित नहीं की गई है, देश में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां और कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने दिल्ली एकीकृत भवन उपनियम (यूबीबीएल), 2016; मॉडल भवन उपनियम (एमबीबीएल), 2016 प्रतिपादित किए हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उनकी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल अपनाने के लिए शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना प्रतिपादन और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 परिचालित किए गए हैं। इन मॉडल उप-नियमों और दिशानिर्देशों में वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण उपायों की आवश्यकता पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। एमबीबीएल में सार्वजनिक स्थानों पर

वर्षा जल संचयन के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) की जिम्मेदारी और प्रवर्तन और निगरानी के प्रावधानों के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के भवनों में जल संचयन के लिए सांकेतिक प्रावधान किए गए हैं। एमबीबीएल के अनुसार, "100 वर्ग मीटर या उससे अधिक के भूखंड वाले सभी भवनों को स्वीकृति के लिए भवन योजना प्रस्तुत करते समय वर्षा जल संचयन का पूरा प्रस्ताव अनिवार्य रूप से शामिल करना होगा"। इस सुविधा को 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया गया है।
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा प्रतिपादित राष्ट्रीय जल नीति (2012) में अन्य बातों के साथ-साथ, वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण पर बल दिया गया है। यह वर्षा के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह नदी निकायों के संरक्षण और जल निकायों और जल निकासी चैनलों के अतिक्रमण और परिवर्तन की रोकथाम की भी हिमायत करती है।

जल शक्ति मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भू-जल विकास विनियमन के लिए उपयुक्त भूजल कानून बनाने में सक्षम बनाने के लिए एक मॉडल विधेयक परिचालित किया है, जिसमें वर्षा जल संचयन का प्रावधान भी शामिल है। अब तक 19 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने भूजल कानून को अपना कर कार्यान्वित किया है।

(ग) और (घ): शहरी जलापूर्ति के लिए मानदंड के रूप में 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) जल की आपूर्ति का सुझाव दिया गया है। तथापि, शहरी क्षेत्रों में घरों में जल की वास्तविक आपूर्ति, जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

जलापूर्ति राज्य का विषय है और यह राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है कि वे घरों में पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित करें। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अपनी अग्रणी योजनाओं, जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के माध्यम से राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में मदद करता है।

भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को देश भर के चुनिंदा 500 शहरों और नगरों में 'अमृत' योजना को शुरु किया गया था। यह योजना जल की आपूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित स्थान और पार्क, गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में मिशन शहरों में बुनियादी ढांचा विकास पर केंद्रित है। 'अमृत' योजना के तहत, 77,640 करोड़ रुपए के कुल योजना प्रावधान में से, 39,010 करोड़ रुपए (50%) केवल जलापूर्ति के लिए आवंटित किए गए हैं।

अब तक, 139 लाख नल कनेक्शनों के निर्धारित अंतराल के मद्देनजर, लगभग 107 लाख कनेक्शन अमृत के तहत या अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण में प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, 108 एकड़ क्षेत्रफल के 106 जलाशयों को अमृत के तहत नवीकरण के लिए अपनाया गया है।